

न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर—खीरी।

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण लघु प्रकृति का एवं मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित है तथा दिनांक 31.12.2021 से पूर्व का है। अतः उ0प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) अधिनियम 1979 सपठित उ0प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद मियाद नियमानुसार विनिष्ट की जाये।

सी0जे0एम0
लखीमपुर खीरी।